Indian Council of Social Science Research

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

उच्च शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

(Social Responsibility and Community Engagement in Higher Education: In the Context of NEP-2020)

08-09 जनवरी, 2026

प्रायोजक
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एस.एस.आर.), नई दिल्ली

अभिमंच सभागार, विश्वविद्यालय परिसर

आयोजक
जीवनपर्यंत शिक्षा विभाग
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सहयोग : आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं अनुसंधान और विकास

विषय परिचय

मानव के सामाजिक और आर्थिक विकास की उपलब्धि को सामाजिक नवाचार के बराबर माना गया है। सामाजिक संस्थाओं के रूप में, उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 21 वीं सदी की चुनौतियों से सामना के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मानव विकास को सामाजिक नवाचार से जोड़ते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों को गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है। विश्वविद्यालय सामाजिक संस्थाओं के रूप में ज्ञान, अनुसंधान और संसाधनों की साझेदारी से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं, शिक्षित नागरिक तैयार करते हैं तथा सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करते हैं। सामुदायिक जुड़ाव छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविकताओं पर लागू करने का अवसर देता है, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाता है और ग्रामीण चुनौतियों की समझ विकसित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैः समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना, छात्रों में जिम्मेदारी और जागरूकता जगाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक न्याय पर कार्य करना। समावेशी अवसर, नैतिक विकास, अधिकारों की रक्षा तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, यह नीति उच्च शिक्षा को समाज-केंद्रित बनाती है। परिणामस्वरूप, स्थायी नवाचार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है, जो छात्रों को नैतिक, जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इस दिशा में यह राष्ट्रीय संगोष्ठी उच्च शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्रमें सशक्त भूमिका निभा सकता है।

संगोष्ठी के उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप, समुदाय-आधारित परियोजनाओं और नैतिक शिक्षा को शामिल करने के व्यावहारिक तरीकों पर विचार-विमर्श, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप।
3. समाज में सुधार और विकास, सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करना।
4. समावेशी और समान अवसरों को बढ़ावा देना।
5. छात्रों और शिक्षकों को स्थानीय समस्याओं (जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता) के समाधान में शामिल करने के महत्व को रेखांकित करना, ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
10. शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, समुदाय नेताओं और छात्रों के बीच नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना, ताकि दीर्घकालिक साझेदारियां बन सकें।

उप विषय

- सामुदायिक सहभागिता की अवधारणा, नैतिकता और आवश्यकता
- स्वयं और दीक्षा जैसे डिजिटल मंच की सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता में भूमिका
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की भूमिका
- लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समावेशी नीतियाँ
- सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता पर आधारित पाठ्यक्रम का समावेश।
- डिजिटल और प्रौद्योगिकी आधारित सहभागिता, सतत विकास एस.जी.डी.4 और सामाजिक जिम्मेदारी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व, नीति के प्रमुख सिद्धांत, जैसे समावेशिता, इक्विटी, और सामुदायिक सहभागिता, और सामाजिक प्रभाव।
- सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा और उच्च शिक्षा में प्रासंगिकता (वैश्विक और भारतीय संदर्भ में) सिद्धांतों का विश्लेषण,सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की सामुदायिक सेवा में भूमिका, सामुदायिक परियोजनाओं और स्थानीय समस्याओं के समाधान में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर अनुसंधान।
- समावेशी शिक्षा और सामाजिक इक्विटी, सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से समता और समानता सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एन.आर.एफ.) और सामाजिक प्रभाव,सामुदायिक समस्याओं पर केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ।

- मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का सामाजिक प्रभाव, सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण में इसकी भूमिका।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को शामिल करने की रणनीतियाँ।
- सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को एकीकृत करने के लिए पाठ्यचर्या सुधार जैसे-अनुभव-आधारित और प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण।
- पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा की भूमिका।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के माध्यम से सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक सहभागिता को मापने के लिए मानदंड।
- छात्रों को सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता में सक्रिय भागीदार बनाने की रणनीतियाँ। स्वयंसेवी और नेतृत्व कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता के लिए भविष्य की रणनीतियाँ और चुनौतियाँ।
- अनुसन्धान एवं नवाचार आधारित सम्बंधित अन्य विषय

विभाग परिचय

शैक्षिक अध्ययनशाला के तत्वावधान में प्रौढ़ शिक्षा विभाग (डीएई) 8 सितंबर 1984 को अस्तित्व में आया और 1997 में इसे एक पूर्ण शिक्षण विभाग के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। विभाग की विस्तार और आउटरीच गतिविधियाँ मुख्य रूप से शैक्षिक हस्तक्षेप पर केंद्रित हैं ताकि शैक्षिक आवश्यकताओं की विविधता और बहुलता को पूरा किया जा सके और समुदाय के बीच उनके जीवन के हर पहलू के बारे में सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा की जा सके। ज्ञान का दस्तावेजीकरण औरप्रसार हमेशा से विभाग की प्रमुख चिंताओं में से एक रहा है।शिक्षण और विस्तार के अलावा,विभाग में एकस्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम भी है जो प्रकृति और पद्धति में बहु-विषयक है और समकालीन शैक्षिक विमर्श से जुड़ने में सक्षम है।

विश्वविद्यालय के विषय में

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, जिसे मूल रूप से 'सागर विश्वविद्यालय' के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 18 जुलाई, 1946 को एक शिक्षाविद्, कवि, दार्शनिक और परोपकारी डॉ हरीसिंह गौर ने समाज के इस महान कार्य हेतु अपनी संपत्ति दान करके की थी। डॉ. गौर एक अनुभवी शैक्षणिक प्रशासक थे, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में कार्य किया और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी लगातार दो कार्यकाल पूरे किए। डॉ. गौर एक वकील के रूप में अपने पेशे में पारंगत होने के साथ-साथ देश की संवैधानिक समिति का भी हिस्सा रहे। डॉ. गौर ने कई प्रतिष्ठित पुस्तकें लिखी हैं, जैसे द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म (1929), द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कई अन्य। फरवरी 1983 में राज्य विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय संभावित संस्कृति और शिक्षण पद्धति की विरासत वाला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को 'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को नैक 'ए+ ग्रेड' प्रदान किया गया है।

आई.सी.एस.एस.आर. के बारे में

देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित, प्रचारित और वित्तपोषित करने हेतु प्रो. वी.के.आर.वी. राव (1965) की सिफारिशों की अनुपालना में 1969 ईसवी में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना हुई। आईसीएसएसआर ने अनुदानों और परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसंधान पद्धतियों में प्रशिक्षण के माध्यम से शुरुआती और वरिष्ठ शोधकर्ताओं की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य नीतिगत हस्तक्षेप और नीति निर्माण हेतु उपयोगी उच्च-गुणवत्ता वाले शोध का उत्पादन करना है। 21वीं सदी में, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष, 2047 तक एक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखता है, आईसीएसएसआर सामाजिक अनुसंधान और समाज के बीच एक समरूपता स्थापित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की अनुशंसाओं के अनुरूप, सामाजिक शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समतामूलक, वहनीय, समावेशी और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहा है।

शोध पत्र हेतु आमंत्रण

- सारांश के साथ एक अलग आवरण पृष्ठ होना चाहिए। जिसमें शोध पत्र का शीर्षक, लेखक का नाम, लेखक का पता, ईमेल और संपर्क विवरण शामिल हों।
- सारांश (250 -300 शब्द) **25 दिसम्बर 2025** तक स्वीकार किये जायेगें।
- पूर्ण शोध पेपर (2500-3500 शब्द) **31 दिसम्बर 2025** तक **seminardle2025@gmail.com** भेजा जाना चाहिए।
- सारांश https://forms.gle/Sck4ZZWDehA7qq456 पर अपलोड किया जा सकता है।
- सारांश और पूरा पेपर टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट आकार 12 (अंग्रेजी) कोकिला, फॉन्ट आकार 14 (हिंदी) में A4 आकार के कागज पर, सभी तरफ 1.5' मार्जिन और 1.5 लाइन स्पेस के साथ MS Word का उपयोग करके टाइप किया जाना चाहिए। APA उद्धरण प्रारूप का उपयोग अपेक्षित है।
- एक से अधिक लेखक होने पर प्रत्येक लेखक को पृथक-पृथक पंजीयन एवं शुल्क देय होगा।
- चयनित शोध पत्रों को आई.एस.बी.एन. के साथ संपादित पुस्तक के रूप में प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है। स्वीकृत शोध पत्रों के लेखकों को प्रकाशन के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा।

पंजीकरण विवरण

- सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण लिंक: https://forms.gle/Sck4ZZWDehA7qq456

SCAN & REGISTER

पंजीकरण शुल्क और भुगतान विवरण

पंजीकरण के लिए **UPI ID- 44497867140@sbi**

का उपयोग करें या स्कैन करें।

SCAN & PAY

- स्थानीय प्रतिभागियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी। लेकिन बाहरी प्रतिभागियों को भुगतान आधारित आवास संबंधी सहायता प्रदान की जा सकती है।
- संगोष्ठी में सहभागिता हेतु प्रतिभागियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- अधिक जानकारी पंजीकृत प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

बैंक विवरण

Name : REGISTRAR DHSGVV SEMINAR WORKSHOP 1

A/c No. : 44497867140 **IFSC** : SBIN0001143

Bank Name : State Bank of India **Branch** : SBI UTD, Sagar

MICR : 470002003

शुल्क विवरण

प्रतिभागी	पंजीकरण शुल्क	ऑन स्पॉट पंजीकरण शुल्क	ऑन लाईन पेपर प्रस्तुतीकरण शुल्क
स्नातकोत्तर विद्यार्थी	400.00	500.00	500.00
शोधार्थी	600.00	800.00	800.00
संकाय सदस्य	800.00	1000.00	1000.00
दिव्यांगजन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क

सलाहकार समिति

- **प्रो. चंदा बैन**, अधिष्ठाता-भाषा अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. डी. के. नेमा**, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. अजीत जायसवाल**, निदेशक-संकाय मामले, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. विनोद कुमार भारद्वाज**, निदेशक-शैक्षणिक मामले, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. डी. एस. राजपूत**, अधिष्ठाता-मा. एवं सा.वि. अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर, म.प्र.
- **प्रो. श्वेता यादव**, निदेशक, शोध एवं विकास डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. हिमांशु पांडे**, अधिष्ठाता-विधि अध्ययनशाला, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. बी. आई. गुरू**, अध्यक्ष-अंग्रेजी एवं यूरोपियन भाषा विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर, म.प्र.
- **प्रो. राजेंद्र यादव**, अध्यक्ष-संस्कृत एवं उर्दू विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **डॉ. अनिल कुमार तिवारी**, अध्यक्ष-दर्शनशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
- **प्रो. आर. टी. बेद्रे**, निदेशक, यूजीसी-एमएमटीटीसी डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर म.प्र.
- **प्रो. प्रवीण कुमार तिवारी**, शिक्षा विभाग (केंद्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- **प्रो. गौरव राव**, शिक्षा विभाग (केंद्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- **प्रो. शैलजा गुप्ता**, बी.एड. विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

कार्यकारिणी सदस्य

- डॉ. वेंकटमुनि रेड्डी
- डॉ. राकेश सोनी
- डॉ. शशि कुमार सिंह
- डॉ. सी. पी. उपाध्याय
- डॉ. किरन आर्या
- डॉ. पंकज सिंह
- डॉ. आफरीन खान
- डॉ. विवेक जायसवाल
- डॉ. शालिनी चौथरानी
- डॉ. सतीश सी.
- डॉ. मुकेश कंवल
- डॉ. सत्यम वर्मा
- डॉ. रजनीश अग्रहरी
- डॉ. नवीन सिंह
- डॉ. अनूपी समैया
- डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद
- डॉ. नीरज उपाध्याय
- डॉ. निकिता जायसवाल
- डॉ. अखिलेश सिंह
- डॉ. अर्चना वर्मा
- डॉ. शिवशंकर यादव
- डॉ. रमाकांत
- डॉ. प्रवीण कुमार टीडी
- श्री सतीश सरल
- श्री पवन कुमार कोरी
- श्री विशाल शर्मा

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. सारांश भेजने की अंतिम तिथि
   25 दिसम्बर 2025
2. पूर्ण शोधपत्र भेजने की अंतिम तिथि
   31 दिसम्बर 2025
3. पंजीकरण शुल्क की अंतिम तिथि
   31 दिसम्बर 2025

आयोजन समिति

मुख्य संरक्षक
प्रो. वाई. एस. ठाकुर
माननीय कुलपति
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

मुख्य परामर्शक
प्रो. धनंजय सिंह
सदस्य सचिव
आई. सी. एस. एस. आर., नई दिल्ली

संगोष्ठी निदेशक
प्रो. अनिल कुमार जैन
अधिष्ठाता - शैक्षिक अध्ययनशाला, निदेशक-आई.क्यू.ए.सी.
एवं विभागाध्यक्ष- जीवनपर्यंत शिक्षा विभाग

संयोजक
डॉ. संजय शर्मा
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

समन्वयक
डॉ. योगेश कुमार पाल
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

आयोजन सचिव
डॉ. चिट्टी बाबू पुच्चा
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

संपर्क सूत्र

8858895290, 9993859878, 9290585578
E-mail - seminardle2025@gmail.com